फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

छिन्द्रपाल सिंह बनाम सरकार

केस संख्या 98/2023 (ट्रान्सजेन्डर पर्सन प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.06.2023	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटशन नम्बर 14044/2021 की पालना हेतु Section 7 of the Transgender persons (Protection of Right) Act. 2019 के तहत प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी पूर्व में छिन्द्र पाल कौर पुत्री श्री बलजीत सिंह स्थाई पता पोस्ट चक ज्वाला सिंह वाला, हनुमानगढ, राजस्थान हाल प्लाट नम्बर 268/148 & 149 प्रताप नगर जयपुर जेन्डर स्त्री थी। जो राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारियावास में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थी अब जेन्डर परिवर्तित करा कर पुरूष छिन्द्रपाल सिंह बना गया है। जिसका Section 7 of the Transgender persons (Protection of Right) Act. 2019 के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 25.05.2023 द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है, जिसकी पालना में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः धारा 7 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी राजकीय कर्मचारी है, जो वर्तमान में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारियावास में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। जिसका स्थाई पता पोस्ट-चक ज्वाला सिंह वाला हनुमानगढ राजस्थान है। प्रार्थी का जन्म स्थान हनुमानगढ राजस्थान है और प्रार्थी के अभिभावक भी हनुमानगढ राजस्थान के रहने वाले है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी को अपने मूल निवास स्थान व स्थाई पते के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र लौटाया जाता है। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	मूल पत्रावली प्राप्त की छिन्द्रपाल सिंह 28/6/23